D.N: 396

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज०)

प्रकरण संख्या 153/2017

राधेश्याम कुमार बनाम शंकर मेवाड़ा वगैरा

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक 18/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री राधेश्याम पि0 देवीलाल कुमार ने जरिये अभिभाषक श्री S. K. पारीक ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल [illegible] खाते की भूमि ग्राम मदुका प0ह0 मदुका तह0 माण्डलगढ मे [illegible]
खाता नं 275 बीनम्बर 944 947 948/1 किता 3
किता 3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन [illegible] विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद [illegible] शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही [illegible] है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया [illegible] ग्राम मदुका की आराजी न0 खाता नं. 275 बी.नं. 944, 947, 948/1 किता 3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी [illegible] के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेंख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 300 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। [illegible] पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी